सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 13, गुरूवार, *शाके* 1944-फरवरी 02, 2023

Magha 13, Thursday , Saka 1944- February 02, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-।।

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 26, 2023

जी.एस.आर.130 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14 का संशोधन.- राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 के नियम 14 के विद्यमान परन्तुक (11) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(11) ऊपर विहित ऊपरी आयु सीमा में सामान्य प्रवर्ग के आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष की और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछडे वर्गो/अति पिछडे वर्गो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए 15 वर्ष की शिथिलता दी जायेगी, जो पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अन्यथा पात्र है।"

[सं. एफ. 1(4)डीओपी/ए-II/88]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.II

NOTIFICATION

Jaipur, January 26, 2023

G.S.R.130 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to

amend the Rajasthan Integrated Child Development (State and Subordinate) Service Rules, 1998, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Integrated Child Development (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 14.-** The existing proviso (11) to rule 14 of the Rajasthan Integrated Child Development (State and Subordinate) Service Rules, 1998 shall be substituted by the following, namely:-

"(11) The upper age limit prescribed above shall be relaxed by 10 years for Anganwari Workers belonging to General Category and 15 years for Anganwari Workers belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/More Backward Classes and Economically Weaker Sections, who are otherwise eligible for direct recruitment to the post of Supervisor."

[No. F.1(4)DOP/A-II/88]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.